न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) कैराना, शामली।

उपस्थिति– रूचि तिवारी... ... ... उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा।

मूलवाद संख्या– 187 सन् 2008

1– (मृतक) बस्तीराम पुत्र ज्योति

1/1 सुधीर

1/2 ओमकार

1/3 जयकुमार

1/4 पंकज

1/5 दिनेश

1/6 रवि

1/7 अविनाश पुत्रगण बस्तीराम निवासी ग्राम खन्दरावली परगना कांधला तहसील कैराना जिला शामली।

1/8 श्रीमती सन्तोष पत्नी मृतक बस्तीराम निवासी ग्राम खन्दरावली परगना कांधला तहसील कैराना जिला शामली। ---------- **वादीगण।**

बनाम

1– ग्राम पंचायत खन्दरावली द्वारा चेयरमैन भूमि प्रबन्धक समिति खन्दरावली परगना कांधला तहसील कैराना जिला शामली।

2– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिलाधिकारी।

3– तहसीलदार कैराना तहसील कैराना जिला शामली। ---------- **प्रतिवादीगण।**

<u>निर्णय</u>

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध वास्ते घोषणात्मक डिक्री एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में वादीगण का वादपत्र में अभिकथन है कि वादीगण ग्राम खन्दरावली के मूल निवासी हैं तथा प्रतिवादीगण स्टेट की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। वर्तमान गाटा सं.–520 मि० क्षेत्रफल 0.062 है० अनुसार खतौनी 1414 फसली मौजा खन्दरावली परगना कांधला तहसील कैराना राजस्व दस्तावेज में भट्टा श्रेणी 6(4) के अन्तर्गत दर्ज है। जिसे विवादित सम्पत्ति कहा गया है। जिसे वादपत्र के अन्त में बने नक्शा नजरी में अक्षर अ, ब, स, द, से दर्शाया गया है। नियमानुसार राजस्व दस्तावेज में श्रेणी 6(4) में कुम्हार गड्ढे, खलियान, स्कूल, खाद के गड्ढे(सार्वजनिक उपयोग की भूमि) आते हैं जबकि भट्टा ऐसी सार्वजनिक दशा में श्रेणी में नहीं आता है। निवर्तमान चकबन्दी से पूर्व गाटा सं.–520 का नम्बर 214 था और उसमें भी भट्टा ही दर्ज था चकबन्दी आकार पत्र 41 में गाटा सं.–520 क्षेत्रफल 0.2615 है० पुराने गाटा सं.–214 क्षेत्रफल 0.0615 खाता सं.–1058 विशेष विवरण में भट्टा दर्ज है। निवर्तमान चकबन्दी से पूर्व की चकबन्दी से पूर्व भी जो कि वर्ष 1954 में सम्पन्न हुई थी, में गाटा सं.–

214 क्षेत्रफल 0–6–0 पुराने गाटा सं.–558 क्षेत्रफल 0–6–0 खाता सं.–609 से निर्मित है और विशेष विवरण के कालम में जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 में भट्टा दर्ज है इससे पूर्व खतौनी 1325 में यह सम्पत्ति महाल मूंगा में पट्टी भूरी खेवट नं.–9 खाता सं.–49 कदीम गाटा सं.–558 दर्ज है। विवादित गाटा सं.–520 साल 1325 फसली से पूर्व से ही वादीगण के परिवार की सम्पत्ति रही है और उसमें काफी समय पूर्व गांव की आबादी के पास ही वादीगण के पूर्वजों सगे बाबा हरफूल पुत्र धरमसिंह द्वारा अपना व्यक्तिगत भट्टा लगाया था तथा भट्टे के साथ रहने हेतु मकान भी बनाये थे भट्टा सफल न होने पर भट्टा बन्द हो गया था। विवादित भूमि में वादीगण के पूर्वजों की आबादी ज्यों की त्यों आज तक बनी हुई है परन्तु राजस्व दस्तावेजों में यह सम्पत्ति किसी कारण से भट्टा ही दर्ज है जबकि स्थल पर यह वादीगण के परिवार की परम्पराग आबादी है तथा स्थल पर विवादित सम्पत्ति प्रारम्भ से ही चकोर है। ग्राम पंचायत खन्दरावली ने कभी कोई भट्टे का व्यवसाय नहीं किया और न ही भट्टे के व्यवसाय के लिये कोी लाईसेन्स किसी व्यक्ति विशेष को दिया। प्रतिवादी नं.–1 के पद पर आसीन श्रीमती लीलावती तथा उसी पद पर इनसे पूर्व आसीन वर्तमान प्रधान के पुत्र जो एक ही परिवार के मां–बेटा हैं, वादीगण से रंजिश रखते हैं तथा वादीगण का उनके साथ वाद भी लम्बित है जिससे वे वादीगण से रंजिश रखते हैं तथा इनका शेष प्रतिवादीगण 2 व 3 के अधिकारियों व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पर भी प्रभाव है क्योंकि प्रतिवादी नं.–1 के पद पर व्यक्ति की राजनैतिक पहुंच है। प्रतिवादी नं.–3 की ओर से प्रतिवादी नं.–1 की प्रेरणा व प्रभाव से एक अवैध नोटिस अन्तर्गत धारा 122 बी उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत विवादित सम्पत्ति गाटा सं.–520 को अन्य सम्पत्ति गाटा सं.–522 व 532 के साथ संयुक्त करके जो कि क्रमशः रास्ते व बच्चों के पढ़ने के गाटा हैं, पर वादीगण के साथ एक अन्य अपक्षकार रामशरण पुत्र दल्ला निवासी खन्दरावली जो कि न तो वादीगण के परिवार का है तथा न ही किसी कार्य में वादीगण का सहखातेदार या फर्म पार्टनर ही है, को अवैध रूप से एक संयुक्त नोटिस देकर वादीगण को अवैध रूप से नुकसान पहुंचाने की नीयत से कार्यवाही प्रारम्भ करके विवादित सम्पत्ति से बेदखल करने का प्रयास माह मई, 2007 में प्रारम्भ किया गया जिसके लिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को अन्य व्यक्तियों के द्वारा समझवाया तथा बाद में एक वैधानिक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. व 106 उ०प्र० पंचायतराज एक्ट के अनुसार प्रतिवादीगण को दिया जो उन्हें प्राप्त हो चुका है। यह नोटिस दिनांक 23.11.2007 को दिया गया था परन्तु प्रतिवादीगण ने न तो कोई नोटिस का जवाब दिया और न ही प्रतिवादी नं.–3 के न्यायालय में लम्बित 122 बी यू.पी.जेड.ए. की कार्यवाही को ही वापस लिया। इस प्रकार से आवश्यकता वाद योजित करने की हुई। यदि किसी कारणवश विवादित सम्पत्ति गाटा सं.–520 में वादीगण का स्वामित्व वर्तमान दस्तावेजों के अनुसार सिद्ध नहीं हो पाता है तो भी वादीगण विवादित सम्पत्ति में जमींदारा खात्मा से पूर्व से आबादी बनाकर लगातार प्रयोग करते रहने से काबिज स्वामी अनुसार उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम चला आ रहा है और प्रतिवादी या किसी अन्य को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण गाटा सं.–520 क्षेत्रफल 0.062 है० के काबिज स्वामी हैं परन्तु प्रतिवादीगण रंजिश के कारण इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसलिये आवश्यकता वाद की हुई। वाद के लम्बन के समय वादी बस्तीराम का देहान्त हो गया है और वादीगण उसके वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं और उन्हें प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद चलाने का अधिकार व

कारण प्राप्त है तथा वे वाद को चलाने के इच्छुक हैं। वाद का कारण माह मई 2007 में प्रतिवादी सं.–3 तहसीलदार द्वारा वादीगण को अपक्षकार रामशरण पुत्र बल्ला के साथ संयुक्त नोटिस धारा 122 बी यू.पी.जेड.ए. को देने से तथा वादीगण द्वारा उस पर आपत्ति करने तथा वापस लेने को कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस न वापस लेकर लगातार वादीगण को विवादित गाटा सं.–520 से बेदखली की धमकी देने से तथा दिनांक 23.11.2007 को वादीगण द्वारा इस आशय का नोटिस प्रतिवादीगण को देने तथा उस पर भी नोटिस वापस न लेकर लगातार वादी को बेदखली की धमकी देने से गांव खन्दरावली परगना कांधला तहसील कैराना में उत्पन्न हुआ जो कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। वाद का मूल्यांकन विवादित सम्पत्ति के ज्यूरिशिडक्शन हेतु विवादित सम्पत्ति की कीमत 30,000/–रूपये नीयत की जाकर न्याय शुल्क घोषणात्मक डिक्री तथा स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री हेतु अधिकतम 200 व 500/–रूपये कुल 700/–रूपये दिया जाता है तथा माननीय न्यायालय को वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादी निम्न प्रार्थना करता है कि घोषणात्मक डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में इस आशय की जारी की जावे की वादीगण वादपत्र के अन्त में दी गई विवरण सम्पत्ति गाटा सं.–520 मौजा खन्दरावली परगना कांधला तहसील कैराना में बने मकान के काबिज स्वामी हैं। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादी के पक्ष में इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने एजेन्ट या सर्वेन्ट के माध्यम से वादीगण के विवादित गाटा सं.–520 स्थित मौजा खन्दरावली परगना कांधला तहसील कैराना में क्षेत्रफल 0.062 है० में बने भवन में कोई हस्तक्षेप न करें। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध उचित समझे, वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रतिवादी नं.–2 अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने वादीगण के वादपत्र के विरूद्ध अपना जवाबदावा कागज संख्या 37 क प्रस्तुत करते हुए वादपत्र के अधिकांश कथनों का अस्वीकार कर अतिरिक्त कथन में कहा है कि उक्त वाद वादीगण कतई गलत व झूठे बयानात पर आधारित होने के कारण खण्डनीय है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. को कोई नोटिस नहीं दिया है और जो तथाकथित नोटिस वे देना अभिकथित करते हैं वह प्रतिवादी नं.–2 को नहीं दिया गया है और उक्त तथाकथित नोटिस में याचित प्रार्थना वाद में चाही गयी प्रार्थना से भिन्न है इस प्रकार वाद में धारा 80 सी.पी.सी. के प्रावधान बाधक है और वाद में पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी नं.–2 को धारा 106 पंचायतराज एक्ट के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं दिया है और जिस नोटिस तथाकथित में वाद में चाही गयी प्रार्थना भिन्न होने के कारण वाद में धारा 106 पंचायत राज एक्ट बाधक है और वाद खण्डनीय है. विवादित भूमि ख.नं.–520 जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6(4) भट्टा अंकित है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है वादी उसमें अपने अधिकारों की घोषणा इस न्यायालय से कराना चाहता है जिसके सम्बन्ध में घोषणा करने का इस न्यायालय को अधिकार भी नहीं है और वाद में धारा 331 उ०प्र० जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बाधक है और वाद खण्डनीय है। ख.नं.–520 के वास्तविक स्वामी राच्य उत्तर प्रदेश है और वह उसकी देखभाल प्रतिवादी नं.–1 करते हैं और प्रतिवादी नं.–3 उसमें अधीनस्थ

अधिकारी हैं और उसकी देखरेख करने का उनका नैतिक दायित्व है कानूनन भी वास्तविक स्वामी के विरूद्ध हुक्मइम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता है। वादीगण द्वारा ख.नं.–520 के कुछ भाग पर व अन्य खसरा नम्बरान पर अवैध कब्जा किया गया है जिस कारण उसके विरूद्ध धारा 122 बी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का वाद योजित किया गया जिसमें उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। वादीगण इस अवैध कब्जे को वैधानिक करा देना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार भी नहीं है। वादीगण या उसके पूर्वज का कभी भी उक्त खसरा नम्बर पर राजस्व अभिलेखों के नाम दर्ज नहीं हुआ, न ही उनका कभी कब्जा ही हुआ। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। वादीगण ग्राम की आबादी में पहले से एक मकान स्थित है जिस पर उसका कब्जा है। इस प्रकार वादीगण विवादित भूमि में कभी निवास नहीं किया। वादीगण का कभी भी जमींदारा खात्मा के समय उस पर कब्जा नहीं था और न ही उक्त भूमि वादीगण या उसके पूर्वज में कभी भी निहित नहीं हुई और वह सार्वजनिक प्रयोग की भूमि होने के कारण निहित नहीं हो सकता है और न ही विवादित भूमि वादीगण के पूर्वज की खेवट या महाल की भूमि है। वादीगण की किसी भी प्रतिवादी नं.–1 के प्रधान से रंजिश नहीं है बल्कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। वादीगण द्वारा वादपत्र के अन्त में प्रदर्शित नक्शा नजरी में कोई पैमाईश प्रदर्शित नहीं की है इस प्रकार वाद अस्पष्ट व भ्रामक है और पोषणीय नहीं है। विवादित भूमि का वादी द्वारा मूल्यांकन कम व गलत किया जाकर कम कोर्टफीस अदा किया गया। वादीगण को वाद का कोई कारण पैदा नहीं हुआ है। वादीगण न्यायालय के सन्मुख स्पष्ट हाथों से नहीं आया है। वाद में धारा 38 व 41 स्पेशिक रिलीफ एक्ट बाधक है। उपरोक्त कारणों से वाद वादीगण मय खर्चे व हर्जे सहित खण्डित किया जावे।

प्रलेखीय साक्ष्य में वादीगण की ओर से सूची 9 ग से कागज संख्या 10 ग नकल खतौनी बाबत 1325 F मौजा खन्दरावली महाल मूंगा, कागज संख्या 11 ग नकल आकार पत्र 41 जोच चकबन्दी मौजा खन्दरावली, कागज संख्या 12 ग नकल आकार पत्र 41 जोच चकबन्दी मौजा खन्दरावली, कागज सं.–13 ग असल नोटिस दिनांकित 23.11.2007, कागज सं.–14 ग असल रसीद डाकघर दिनांकित 23.11.2007, कागज सं.–15 ग असल रसीद डाकघर दिनांकित 23.11.2007, कागज सं.–16 ग असल रसीद डाकघर दिनांकित 23.11.2007, कागज सं.–17 ग असल ए.डी. कार्ड, कागज सं.–18 ग असल ए.डी. कार्ड, कागज सं.–19 ग असल ए.डी. कार्ड, कागज सं.–20 ग असल नोटिस धारा 115(ग) दिनांकित 09.05.2007, कागज सं.–21 ग नकल खतौनी बाबत 1412 ता 1417 F मौजा खन्दरावली व कागज सं.–22 ग नकल खसरा बाबत 1415 F मौजा खन्दरावली प्रस्तुत किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची 84 ग से कागज सं.–85 ग नकल निर्णय दिनांक 29.05.08 प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त वाद में निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 24.01.2013 तथा 21.10.2020 को न्यायालय द्वारा विरचित किये गये।

1. क्या वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर वादी विवादित सम्पत्ति का स्वामी घोषित होने योग्य है ?

2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?

3. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

4. क्या दावा धारा 80 सी.पी.सी. से बाधित है ?

5. क्या दावा धारा 331 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम से बाधित है ?

6. क्या दावा धारा 38–41 स्पेशिक रिलीफ एक्ट बाधित है ?

7. अनुतोष ?

8. क्या वादीगण वर्णित तथ्यों के आधार पर विवादित सम्पत्ति में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

निष्कर्ष

निस्तारण बाद बिंदु संख्या-1-

वाद बिंदु संख्या-1 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर वादी विवादित संपत्ति का स्वामी घोषित होने योग्य है" इस बाद बिंदु को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में गाटा संख्या -520 रकवा 0.0620 हेक्टेयर ग्राम खंद्रावली परगना कांधला तहसील कैराना जनपद शामली का विवाद है उपरोक्त गाटा संख्या राजस्व अभिलेखों में भट्टे के नाम से दर्ज चली आ रही है वादी का यह कथन है कि करीब 100 वर्षों पूर्व से वादी के पूर्वजों का उक्त गाटा संख्या में भट्टा था जिस कारण उपरोक्त गाटा संख्या राजस्व अभिलेखों में भट्टे के नाम पर दर्ज है किंतु बाद में भट्टा बंद हो गया और उपरोक्त गाटा संख्या में वादी तथा उसके पूर्वजों की आबादी स्थित हो गई। चकबंदी के पूर्व उपरोक्त गाटा संख्या का नंबर 214 था तथा चकबंदी के बाद विवादित स्थल का गाटा संख्या 520 हो गया। कागज संख्या-11 ग के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि चकबंदी के पूर्व विवादित स्थल का नंबर 214 था तथा चकबंदी के पूर्व उपरोक्त गाटा संख्या भट्टा के नाम पर दर्ज थी तथा कागज संख्या -21 ग के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि चकबंदी के उपरांत विवादित स्थल का गाटा संख्या-520 हो गया तथा चकबंदी के बाद भी उपरोक्त गाटा संख्या भट्टा के नाम पर दर्ज है। यहां पर वादी को अब यह सिद्ध करना है कि उपरोक्त गाटा संख्या पर दर्ज भट्टा वादी के पूर्वजों का था या उसके पूर्वजों के पास उपरोक्त गाटा संख्या किस प्रकार निहित हुई किंतु वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि उपरोक्त विवादित भूमि वादी के पूर्वजों के स्वामित्व की भूमि थी इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि उपरोक्त विवादित संपत्ति के मालिक प्रतिवादीगण हैं किंतु प्रतिवादीगण द्वारा भी पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रतिवादीगण विवादित गाटा संख्या 520 के मालिक परिलक्षित हो। यहां पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है और उपरोक्त वाद में इस स्तर तक वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह दर्शित हो

कि वादी ही विवादित गाटा संख्या 520 रकबा 0.0620 हेक्टेयर ग्राम खंद्रावली परगना कांधला तहसील कैराना जनपद शामली का मालिक है अतः उपरोक्त परिस्थिति में वाद बिंदु संख्या 1 वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण बाद बिंदु संख्या-8-</u>

वाद बिंदु संख्या 8 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या वादीगण वर्णित तथ्यों के आधार पर विवादित संपत्ति पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं' इस वाद बिंदु को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। यहां पर वादीगण को यह सिद्ध करना है कि वे विवादित संपत्ति के मालिक तथा काबिज हैं। उपरोक्त वाद में वाद बिंदु-1 के निस्तारण से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि वादीगण विवादित गाटा संख्या 520 रकवा 0.0620 हेक्टेयर ग्राम खंद्रावली परगना कांधला जनपद शामली के मालिक नहीं है अब यहीं पर प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादीगण विवादित गाटा संख्या 520 रकवा 0.0620 स्थित ग्राम खंद्रावली परगना कांधला तहसील कैराना जनपद शामली के मालिक हैं। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण राज्य सरकार तथा राज्य सरकार की एजेन्सी ग्रामसभा है उपरोक्त वाद में कागज संख्या 10 ग तथा 11 ग के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विवादित गाटा संख्या का चकबंदी पूर्व का नंबर 214 था तथा जमीदारी विनाश के पूर्व से उपरोक्त नंबर 214 भट्टा में दर्ज चला आ रहा है। कागज संख्या 12 ग तथा 21 ग के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि चकबंदी बाद से उपरोक्त गाटा संख्या का नंबर 520 हो गया तथा जमीदारी विनाश के पश्चात भी उपरोक्त विवादित गाटा संख्या भट्टे के नाम पर ही दर्ज है। यहां पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण जो कि राज्य सरकार है उनके द्वारा कोई भी घोषणा धारा 6 (4) जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त भूमि की श्रेणी परिवर्तन हेतु तथा राज्य सरकार में निहित होने हेतु नहीं की गयी। यहां पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 4,6,8 तथा 9 सम्मिलित रूप से यह प्रावधानित करती है कि "All the right, title and interest of all the zamindaras (intemediaries) in every estate shall cease and be vested in the state of U.P. free from all the encumberances, forest, fisheries, pond, tanks, water channels, ferries, pathways, abadi sites, hats, bazars, melas, mines and minerals"

धारा -3(14) जमींदारी विनाश अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि "Land (except in sections 109,143 and 144 chapter- VII) means land hold or occupied for purpose connected with agriculture, horticulture or animal husbantory which includes pissiculture and poultry farming.

At any time after the publication of the notification referred to in Section 4. the State Government may [by general or special order to be published in the manner prescribed], declare that as from a date to be specified in this behalf, all or any of the following things, namely-

(i) lands, whether cultivable or otherwise, except lands for the time being comprised in any holding or grove;

(ii) forests;

(iii) trees, other than trees in a holding or on the boundary of a holding or in a grove or abadi',

(iv) fisheries;

(v) hats, bazars and melas, except hats, bazars and melas held on lands to which the provisions of Clauses (a) to (c) of sub-section (1) of Section 18 apply or on sites and areas referred to in Section 9; and

(vi) tanks, ponds, private ferries, water channels, pathways and abadi site,-

which had vested in the State under this Act, shall vest in a Gaon Sabha or any other local authority established for the whole or part of the village in which the said things are situate or partly in one such local authority (including a Gaon Sabha) and partly in another :

Provided that it shall be lawful for the State Government to make the declaration aforesaid subject to such exceptions and conditions as may be [specified in such order].

उपरोक्त धाराओं में Land की परिभाषा में भट्टे का उल्लेख नहीं है। अब यदि उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण यह कथन करते हैं कि गाटा संख्या 520 की मालिक राज्य सरकार है तो उसे सर्वप्रथम उपरोक्त विवादित भूमि जो कि भट्टे के नाम पर दर्ज है उसकी श्रेणी परिवर्तन करके इसकी घोषणा धारा-4 जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत करनी चाहिए किंतु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह दर्शित हो कि प्रतिवादीगण द्वारा गाटा संख्या 520 को राज्य सरकार की भूमि में निहित करने हेतु कोई घोषणा की हो अथवा उपरोक्त गाटा संख्या की श्रेणी परिवर्तन करके उसे राज्य सरकार में सम्मिलित किया हो। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत लेखपाल शरद भारद्वाज द्वारा डी.डब्लू.-1 के रूप में अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया कि "मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ग्रामसभा खंद्रावली ने कभी भट्टा का संचालन का काम किया हो, मुझे गांव सभा का कोई भट्टा संचालन का रिकॉर्ड नहीं मिला, विवादित संपत्ति लैंड की परिभाषा में नहीं आती"।

इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा सूची 84 ग से कागज संख्या 85 ग नकल निर्णय वाद संख्या 24 सन् 2006, गांव सभा बनाम बस्तीराम, दिनांक 29.05.2008 न्यायालय तहसीलदार अंतर्गत धारा 122 बी जमींदारी विनाश अधिनियम प्रस्तुत किया गया। कागज संख्या 85 ग के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरुद्ध धारा 122 बी यू.पी.जेड.ए. एण्ड एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई किंतु विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 122 बी यू. पी. जेड. ए. एण्ड एल. आर. एक्ट भाग-1 Show Cause Notice है, इस कार्यवाही से स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है प्रतिवादीगण द्वारा डी.डब्लू.-1 के रूप में प्रस्तुत लेखपाल शरद भारद्वाज द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया गया कि "बेदखली की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही होती है इसमें स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता है।" अतएव उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित होता है कि इस स्तर तक प्रतिवादीगण भी गाटा संख्या 520 रकवा 0.0620 हेक्टेयर स्थित ग्राम खंद्रावली परगना कांधला जनपद शामली के मालिक एवं काबिज होने का कोई भी पुष्टिकारक राजस्व प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है

जिसमें कि वे स्पष्ट रूप से मालिक दर्शित हो। अतः इस स्तर पर प्रतिवादीगण भी राजस्व प्रपत्रों के अभाव में मालिक, काबिज माने जाने योग्य नहीं हैं।

अब प्रश्न यह है कि विवादित गाटा संख्या 520 रकवा 0.0620 हेक्टेयर स्थित ग्राम खंद्रावली परगना कांधला तहसील कैराना जनपद शामली में वादीगण काबिज हैं अथवा नहीं। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से गवाह के रूप में प्रस्तुत लेखपाल शरद भारद्वाज द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया कि "वादी का विवादित संपत्ति पर कब्जा, कि वह कितने समय से है मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है मुझे नहीं पता कि विवादित संपत्ति पर वादी का कब्जा जमीदारी खात्मा से पूर्व से उसके पूर्वजों के समय से चला आ रहा है" इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र कागज संख्या 37 क के प्रस्तर 19 में यह कथन किया गया है कि "वादी द्वारा खसरा नंबर 520 के कुछ भाग व अन्य खसरा नंबरान पर अवैध कब्जा किया गया है जिस कारण उसके विरुद्ध धारा 122 भी जमीदारी उन्मूलन अधिनियम का बाद आयोजित किया गया जिसमें उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।" अतः उपरोक्त तथ्यों से यह परिलक्षित होता है कि विवादित गाटा संख्या 520 रकवा 0.0620 है० स्थित ग्राम खंद्रावली परगना कांधला तहसील कैराना जनपद शामली में वादी का वर्तमान में कब्जा है। प्रतिवादीगण का उपरोक्त खसरा नंबर पर कब्जा नहीं है तथा उपरोक्त की गई विवेचना से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रतिवादीगण जो कि राज्य सरकार है भी उपरोक्त विवादित गाटा संख्या 520 की मालिक स्वयं को इस स्तर तक सिद्ध नहीं कर सकी है तथा यहां पर यदि बिना विधिक प्रक्रिया के तथा बिना समुचित अधिकार के प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप किया तो यह वादीगण की अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त समस्त विवेचना से यह परिलक्षित होता है कि गाटा संख्या 520 रकबा 0.0620 हेक्टेयर स्थित ग्राम खंद्रावली परगना कांधला तहसील कैराना जनपद शामली पर वादीगण का कब्जा है। अतएव वाद बिंदु संख्या-8 वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण बाद बिंदु संख्या 2 व 3-</u>

वाद बिंदु संख्या 2 व 3 न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2013 को निर्णीत किये जा चुके हैं जो कि इस निर्णय का अंश होंगे।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4, 5 व 6-</u>

वाद बिंदु संख्या 4,5 व 6 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद बिंदु संख्या 4,5 व 6 पर कोई बल नहीं दिया गया। अतः वाद बिंदु संख्या 4, 5 व 6 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किये जाते हैं।

<u>निस्तारण बाद बिंदु संख्या 7-</u>

वाद बिंदु संख्या 7 इस आशय का विरचित किया गया कि "वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है" उपरोक्त बाद में वाद बिंदु संख्या-1 तथा 8 के निस्तारण में की गई विवेचना से यह दर्शित होता है कि वादी विवादित संपत्ति गाटा संख्या 520 रकवा 0.0620 हेक्टेयर स्थित ग्राम खंद्रावली

कांधला तहसील कैराना जनपद शामली का मालिक तो नहीं है किंतु काबिज इस स्तर पर है। इसके विपरीत स्तर तक प्रतिवादीगण उपरोक्त विवादित गाटा संख्या के मालिक हैं और न ही उनका कब्जा है। यहां पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यदि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे में बिना विधिक प्रक्रिया के हस्तक्षेप करेंगे तो यह वादीगण की अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः ऐसी स्थिति वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वाद आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादीगण को गाटा सं.–520 रकबा 0.0620 हे० ग्राम खंदरावली परगना कांधला तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित वादग्रस्त विवादित सम्पत्ति से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादीगण के कब्जे एवं दखल में हस्तक्षेप न करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–03.11.2020

(रूचि तिवारी)
सिविल जज (सी.डि.),
कैराना, शामली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घघोषित किया गया।

दिनांक–03.11.2020

(रूचि तिवारी)
सिविल जज (सी.डि.),
कैराना, शामली।

Digitally signed by Ruchi Tiwari
Date: 2020.11.05 16:24:07 IST
Reason: Document Owner
Location: CIVIL JUDGE SER DIV
KAIRANA